कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0 / 10329 /01–विविध आ0–18–2013 /2016 **दिनांक : 15 जुलाई, 2016**

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबंधक,
समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय : सत्र 2016–17 में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रवेश समिति की आपात बैठक दिनांक 05.07.2016 में लिये गये निर्णय के क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2016–17 में प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व अधोलिखित विन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

1. **वर्तमान सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु शासन के आदेश सं0 421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई, 2015 की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के पत्र सं0 कु0स0–2 B स0अ0 / 4905 / शासन विविध 1 / 2–2013 / 2015 दिनांक 28 मई, 2015 के माध्यम से विगत वर्ष ही प्रेषित की जा चुकी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश प्रकिया सम्पन्न करायी जाय।**
2. **उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्रांक सं0 1191 / सत्तर–2–2010–3 (58) / 79 दिनांक 11 जून 2010** द्वारा आरक्षण हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. **मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–729 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2013 के** निर्देश के क्रम में प्रत्येक विषय में स्वीकृत सेक्शन से अधिक सेक्शन में प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाय, स्नातक स्तर पर एक सेक्शन में 60 छात्र से अधिक न हो एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक विषय में 30 छात्र एवं अप्रायोगिक विषय में 60 छात्र प्रति सेक्शन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीट से अधिक न हो। आवंटित सीट से अधिक छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा आवंटित सीट से अधिक प्रवेश लिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी
4. प्रथमतः अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जायेगा जिसके आधार पर प्राचार्य द्वारा अधिमानता सूची तैयार की जायेगी, तैयार अधिमानता सूची (Merrit list) से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने के साथ ही पूर्ण डाटा विश्वविद्यालय की एडमिन लागिन पर निर्धारित तिथि तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करते हुए भरी गयी एवं रिक्त सीटों की सूचना प्रतिदिन विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाय। प्रवेश हेतु निर्धारित समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध है।
5. महाविद्यालयों द्वारा वर्गवार / विषयवार स्वीकृत सीटों के सापेक्ष किया जायेगा तथा साथ ही प्रतिदिन प्रवेशित एवं रिक्त सीटों की सूची विश्वविद्यालय के एडमिन लागिन पर अपलोड किया जायेगा।
6. प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लेने वाले महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश के पूर्व तैयार की जाने वाली अधिमानता सूची (Merrit list) विश्वविद्यालय के ई–मेल registrarmgkvp@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश न लिया जाय। अंतिम तिथि के पश्चात लिया गया प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त लिये गये प्रवेश की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन / प्रबंधन की होगी।
8. किसी संकाय के अंतर्गत स्वीकृत विषय का प्रवेश उसी संकाय में ही किया जाय (यथा कला संकाय के विषय का प्रवेश विज्ञान संकाय के विषय पुंज में न लिया जाय)। उदाहरण के रूप में यदि 7 विषय A,B,C,D,E,F,G है तो विषय पुंज इस प्रकार होगा:–

1	A,B,C	5	E,F,G
2	B,C,D,	6	F,G,A
3	C,D,E	7	G,A,B
4	D,E,F		

.....2

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

9. सभी विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पूर्व यू0जी0सी0 अर्हताधारी प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जाय। यदि शिक्षक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र चले गये हों तो उनके प्रतिस्थानी का चयन प्रक्रिया पूर्ण कर अनुमोदन प्राप्त करने के साथ ही कार्यरत प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं का सामूहिक फोटो अनिवार्यतः दिनांक **18 जुलाई, 2016** तक उपलब्ध करा दिया जाय। यदि किसी महाविद्यालय में यू0जी0सी0 अर्हताधारी प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।
10. शासनादेश सं0 2218/सत्तर–2–2011–16 (409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के अनुसार संविदा अध्यापकों की संविदा विस्तरण का अनुमोदन विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. जिन महाविद्यालयों में वेबसाइट, ई–मेल, अग्निशमन व्यवस्था एवं भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकानुसार उपलब्ध नहीं है वे अपने महाविद्यालय को वेबसाइट, ई–मेल, अग्निशमन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकानुसार भवन होने इत्यादि की व्यवस्था से परिपूर्ण कर अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।
12. यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/विषय की सम्बद्धता समाप्त हो गयी है या 30 जून, 2016 को समाप्त हो गयी है तो उस महाविद्यालय द्वारा सम्बंधित विषय/पाठ्यक्रम में सत्र **2016–17** में किसी भी दशा में प्रवेश न लिया जाय। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा ऐसा करते हुए पाया गया तो ऐसे कृत्य के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबंधक के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।
13. राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का संकायवार एवं विषयवार नवीनतम वरिष्ठता सूची (कार्यरत शिक्षकों का विवरण) निर्धारित प्रारूप पर सम्बद्धता कार्यालय को दिनांक **18 जुलाई, 2016** तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. महाविद्यालय की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ कर विश्वविद्यालय से प्रबंध समिति अनुमोदित करा लिया जाय।
15. उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष **2016–17** के शैक्षिक कलेण्डर का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. महाविद्यालयों को निर्गत सम्बद्धता आदेश में यह शर्त उल्लिखित है कि महाविद्यालय कुलसचिव को **15 अगस्त** तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है। इसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
17. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2015–16 से सम्बंधित सूचनाएं (डाटा बेस) जिन महाविद्यालयों द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। उन सभी महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सूचनाएं अपलोड कर विश्वविद्यालय को सूचित करें एवं सत्र एवं **2016–17** हेतु निर्धारित प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध है। डाटा बेस अपलोड करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर **प्रो0 योगेन्द्र सिंह, इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी** से उनके मो0 नं0 **09415449378** पर सम्पर्क स्थापित कर कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है। डाटा बेस अपलोड न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय के कार्य अवरूद्ध कर दिये जायेंगे।
18. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु अनेकों आदेश प्राप्त हुए हैं जिसकी सूचना सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी पूर्व में दी गयी है लेकिन कतिपय सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा ही अभी तक नैक से मूल्यांकन कराकर विश्वविद्यालय को सूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिन महाविद्यालयों ने नैक से मूल्यांकन नहीं कराया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नैक मूल्यांकन की कार्यवाही प्रारम्भ कर मूल्यांकन कराकर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाय।
19. सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रवेश नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रवेश नियमावली का उल्लंघन करने वाले महाविद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

.....3

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

20. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश हेतु संलग्न समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि उपर्युक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संसाधनों की उपलब्धता सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण विश्वविद्यालय को **निर्धारित तिथि तक** उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में सत्र **2016–17** हेतु महाविद्यालय में लिया गया प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार्य न होगा।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

/
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय के साथ कि समस्त महाविद्यालयों का परीक्षा आवेदन पत्र आनलाइन करने से पूर्व सम्बंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की पुष्टि सम्बद्धता विभाग से कराने के उपरान्त ही निर्धारित सीट के सापेक्ष परीक्षा आवेदन पत्र आनलाइन किया जाना एवं जमा कराया जाना सुनिश्चित करें ऐसा न करने पर समस्त जिम्मेदारी परीक्षा विभाग की होगी।
4. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी,** को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।

कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0 / 10329 / प्रवेश 2016–17 / 2016
दिनांक 15 जुलाई, 2016 का संलग्नक

क्रमांक	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	इच्छुक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण कराने की तिथि	दिनांक 15.07.2016 से 31.07.2016
2.	महाविद्यालय द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की अधिमानता सूची (**Merrit List**) बनाकर प्रवेश हेतु सूची निर्गत करने की तिथि	दिनांक 01.08.2016 से 05.08.2016
3.	प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सम्वर्गवार अधिमानता सूची (**Merrit List**) की प्रति विश्वविद्यालय के ई–मेल पर उपलब्ध कराये जाने की तिथि	दिनांक 06.08.2016 से 25.08.2016
4.	अधिकानता सूची (**Merrit List**) के आधार पर संवर्गवार / विषयवार प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	दिनांक 06.08.2016 से 15.08.2016
5.	प्रवेश के पश्चात सम्पूर्ण डाटा विश्वविद्यालय के एडमिन लागिन पर अपलोड करने की तिथि	दिनांक 16.08.2016 से 20.08.2016

नोटः–प्रतिदिन संवर्गवार / विषयवार प्रवेशित छात्र–छात्राओं की सूची शासन में प्रेषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के ई–मेल (**registrarmgkvp@gmail.com**) पर अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

कुलसचिव

संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011

प्रेषक,

डी0 डी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2015

विषय:- राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु समय-समय पर कई शासनादेश जारी किये गये हैं। रिट याचिका संख्या-729(एस/बी)/2012 डॉ० सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-1236/2014 वैभव मणि त्रिपाठी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में राज्य विश्वविद्यालयों को इस आशय के दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिये जायें और महाविद्यालयों में आधार-भूत सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता को भी आधार माना जाय।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-729(एस/बी)/2012 डॉ. सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-3-2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-750/सत्तर-1-2013-16(20)/2011 दिनांक 31 मई, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अधीन ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को निर्गत किये गये हैं।

3- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सीट से अधिक प्रवेश लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के प्राविधानों के विपरीत है। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के क्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:-

1- प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विषयों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिये जाँय। विषयवार स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश लिया जाना उत्तर प्रदेश राज्य

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-28(4) का उल्लंघन है, अतः और
अधिक संख्या में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के प्रवेश उक्त अधिनियम की धारा-
28(6) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य होंगे। पूर्व विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त
2- प्रत्येक वर्ष प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त
महाविद्यालयों को पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या
विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित की जायेगी तथा प्रत्येक महाविद्यालय में
पाठ्यक्रमवार व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय की
ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी ताकि जनसामान्य को यह सूचना
उपलब्ध रहे।
3- महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं यथा शिक्षण कक्ष, शिक्षकों की
संख्या आदि को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करते
समय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये विषयवार सीटों का निर्धारण किया जायेगा और
सम्बन्धित महाविद्यालय को तद्नुसार सूचित करते हुये जनसामान्य के
अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित की
जायेगी।
4- पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार सीटों की संख्या निर्धारित करते समय सम्बन्धित
विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक-छात्र अनुपात के निर्धारित मानक का अनुपालन किया
जायेगा, जो वर्तमान में 1:60 है, तथा जिसे 1:80 तक कुलपति की अनुमति से
शिक्षण सत्र हेतु नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
5- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया
की दिन-प्रतिदिन के आधार पर गहनता पूर्वक समीक्षा की जायेगी। प्रत्येक
महाविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह भरी गयी एवं रिक्त सीटों की सूचना
प्रतिदिन विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
6- प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रत्येक
महाविद्यालय द्वारा कुल पाठ्यक्रमवार व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या, उसके
सापेक्ष लिये गये प्रवेश तथा रिक्त सीटों की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय को
उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जनसामान्य के
अवलोकनार्थ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
7- प्रवेश के अन्तिम दिन के पश्चात एक सप्ताह के अंदर सम्बन्धित महाविद्यालय
द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषयवार प्रवेशित छात्रों की सूची उनकी मेरिट के
अनुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
8- विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से सम्बन्धित अभिलेख
अनुरक्षित किये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार स्वीकृत
छात्र संख्या के तहत भर्ती किये गये छात्रों के ही परीक्षा प्रपत्र स्वीकार किये जाएं
और केवल उन्हीं छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय।
9- जो महाविद्यालय उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उनका सम्बद्धीकरण/मान्यता
राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37 (8) निरस्त करने की
कार्यवाही पर भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाय।

10- सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमवार व विषयवार शिक्षकों के अनुमोदन से सम्बन्धित प्रस्तावों का निस्तारण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर आवश्यक रूप से किया जाये, ताकि पठन पाठन के कार्य में बाधा न उत्पन्न हो।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी० बी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-421(1)/सत्तर-1-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/ कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश सम्बन्धित जनपदों के समस्त राजकीय महाविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रेषित करते हुये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
(4) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करते हुये समस्त सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
(5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(6) समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाइल।

भवदीय,

(धीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव।

पत्रांक : कु०स०-2 B स०आ० /4905/ शासन विविध 1/2-2013/2015 दिनांक: 28 मई, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

(ओम प्रकाश)
कुलसचिव